दिनांक 18.07.12 को प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के अन्तर्वासी मरीजों के पोशाक आपूर्ति, उपयोग एवं भुगतान तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यो के संबंध में हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बैठक में कार्यपालक निदेशक श्री संजय कुमार, सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, डा0 एम0पी0 शर्मा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य समिति पटना एवं श्री मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी उपस्थित रहे ।

2. राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में अन्तर्वासी मरीजों को पोशाक की आपूर्ति, उपयोग एवं भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। इस संबंध में अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार बतलायी गयी है ।

क्र0 सं0	मेडिकल कॉलेज का नाम	आपूर्ति आदेश की स्थिति	उपयोग की स्थिति	भुगतान की स्थिति
1	पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	प्राप्त 23450 पोशाक	उपयोग नही किया जा रहा है	प्राप्त
2	नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	प्राप्त 10528 पोशाक	उपयोग किया जा रहा है ।	लंबित
3	श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	प्राप्त 7000 पोशाक	उपयोग नहीं किया जा रहा है	लंबित
4	अनुग्रह नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	प्राप्त 7616 पोशाक	उपयोग नहीं किया जा रहा है	लंबित
5	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ,भागलपुर	प्राप्त 6200 पोशाक (3000 पोशाक की आपूर्ति शेष)	उपयोग नहीं किया जा रहा है ।	लंबित
6	दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा	प्राप्त 7700 पोशाक (आधी आपूर्ति आदेश)	उपयोग नहीं किया जा रहा है	लंबित

3. डा0 एम0 पी0 शर्मा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना द्वारा बताया गया कि आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति किये गये पोशाक का भुगतान नहीं किया गया है । प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी अधीक्षक आपूर्ति किये गये पोशाक का भुगतान 15 दिनों के अन्दर करने की कार्रवाई करें । इसके लिए यदि अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव भेजें ।

(अनुपालन– सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल)

4. प्रधान सचिव द्वारा सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के अधीक्षकों को निदेश दिया गया कि उनके यहॉ निर्धारित पोशाकों का शत प्रतिशत आपूर्ति आदेश दिया गया है अथवा नहीं और यदि दिया गया है तो उसका शत प्रतिशत उपयोग होता है या नहीं । प्रधान सचिव द्वारा सभी अधीक्षकों से बारी–बारी से जानकारी ली गई । प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी मरीजों को यह बतलाया जाय कि उन्हें यह पोशाक क्यों दिया जा रहा है । पोशाक पहनने की महत्ता मरीजों को बताने पर वे पोशाक अवश्य पहनेंगे । उन्हें बताये कि पोशाक पहनने पर इन्फेक्शन प्रबंधन में मदद । इस संबंध में अधीक्षक सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर मरीजों को इसकी अनिवार्यता को बतायें ताकि उन्हें पता चल सके कि इलाज के दौरान इसे पहनने से क्या फायदे हैं । उन्हें यह भी बताया जाय कि मरीजों के पोशाक में रहने पर यह पता चलता है कि कौन रोगी है और कौन उनके परिजन या बाहरी व्यक्ति हैं । इससे दलाल की सक्रियता भी कम हो जायेगी । प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि उनके अस्पताल में आपूर्ति किये गये रोगी पोशाक का उपयोग अवश्य शुरू करावें । इस संबंध में एक छोटा कार्यक्रम (Function) कर प्रत्येक वार्ड में शुरू करायें और प्रिन्ट मीडिया एवं एलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बुला लें ताकि सभी को पता चल सके ।

(अनुपालन– सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल)

5. कार्यपालक निदेशक द्वारा बताया गया कि नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रोगी पुराने कपड़े के ऊपर ही पोशाक पहन लेते हैं इस तरह रोगी को इन्फेक्शन लगने की संभावना बनी रहती है । अतः रोगियों को बताया जाय कि अस्पातल के पोशाक को कैसे और क्यों पहनना चाहिए । प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि मरीजों के लिए आपूर्ति किये गये पोशाकों के धुलाई की भी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए । धुलाई की व्यवस्था out source से करायी जाय । पोशाक के धुलाई की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए । जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक द्वारा बच्चों के लिए पोशाक की आपूर्ति करने का अनुरोध किया गया । इस संबंध में कार्यपालक निदेशक द्वारा सभी अधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक अस्पताल में बच्चों के लिए उपलब्ध वार्ड के 14 गुणा के हिसाब से अधियाचना भेजे जायं ताकि संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को शीघ्र आपूर्ति करने का आदेश दिया जा सके ।

समीक्षा के दौरान यह बात उभर कर आई कि गर्भवती महिलाओं के लिए आपूर्ति किये गए पोशाक के साथ पायजामा की जगह पेटीकोट उपलब्ध करायी जाय तो बेहतर होगा । इस संबंध में कार्यपालक निदेशक द्वारा डा0 एम0 पी0 शर्मा को सभी अस्पतालों हेतु 10 प्रतिशत पोशाक पायजामा की जगह पेटीकोट उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया । साथ ही सभी अधीक्षकों ने रोगियों के पोशाक का रंग सफेद की जगह अन्य कोई रंग करने का अनुरोध किया । प्रधान सचिव ने पोशाक का रंग बदल कर सफेद की जगह Sky Blue रखने का निर्देश दिया ।

(अनुपालन– सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति)

6. प्रधान सचिव द्वारा सभी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षकों को यह निदेश दिया कि सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में CCTV कैमरा लगाया जाय जिसका मोनिटर (Monitor) अस्पताल के कंट्रोल रूम, उपाधीक्षक, अधीक्षक एवं प्राचार्य के कक्ष में अवश्य हो । CCTV कैमरा out door एवं In door दोनों में लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में EOI निकाला जाय । प्राचार्य/अधीक्षक यह सुनिश्चित भी करायेंगे कि यह CCTV नियमित चलता रहे और इसका प्रत्येक वर्ष मेन्टेनेन्स (AMC) भी कराया जाय । CCTV के लगने से अस्पताल प्रबंधन में मदद मिलेगी । साथ ही अस्पताल में जहाँ पर मरीजों का निबंधन कराया जाता है एवं उनके परिजन इन्तजार करते हैं वहाँ LCDTV केबल के साथ लगाया जाये । CCTV एवं LCDTV लगाने हेतु रोगी कल्याण समिति से प्राप्त राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाय ।

(अनुपालन– सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल)

7. प्रधान सचिव ने कहा कि विचार विमर्श के दौरान यह बात भी सामने आई है कि चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में पी0जी0 छात्र से लेकर वरीय चिकित्सक एवं नर्स निर्धारित एप्रौन/ड्रेस लेपल कार्ड के साथ नहीं रहते हैं । चिकित्सकों के द्वारा एप्रौन नहीं पहनने के कारण यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन रोगी है और कौन चिकित्सक । प्राचार्य/अधीक्षक यह सुनिश्चित करायें कि सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालो में पी0जी0 छात्र, वरीय चिकित्सक एवं नर्स लेपल कार्ड के साथ अपने निर्धारित ड्रेस में अवश्य रहे ।

(अनुपालन– सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल)

8. प्रधान सचिव द्वारा कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को निदेश दिया गया कि सभी अस्पतालों में साफ–सफाई , सुरक्षा गार्ड एवं साईलेन्ट जेनरेटर के क्रय हेतु टेन्डर Format सभी अस्पतालों में भेजवाये ताकि एक ही तरह के टेन्डर Format सभी अस्पतालों द्वारा निकाला जा सके । टेन्डर तीन वर्षो के लिए ही निकाला जाय ।

(अनुपालन– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति)

9. प्रधान सचिव द्वारा सभी अधीक्षकों को निदेश दिया गया कि इमरजेन्सी एवं वार्ड में मरीजों को लिखे जाने वाले पर्ची पर जो दवा या जाँच जिन चिकित्सकों के द्वारा लिखा जाय उस पर उनका नाम एवं मुहर अवश्य अंकित हो ।

(अनुपालन– सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल)

10. सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का एक Vision Document बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत सरचना निगम लि0 के कार्यरत अधिकारियों एवं अभियंताओं की टीम गठित कर तैयार की जाय एवं इसे संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में भेजा जाय । यह Vision Document आगे के 20 एवं 25 वर्षो को ध्यान में रखकर तैयार किया जाय । यह Vision Document Short term, Medium term एवं Long term के आधार पर तैयार किया जाय । इस Vision Document में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालो में उपलब्ध जमीन का Optimum use का प्रस्ताव दें ।

(अनुपालन– सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभंत सरंचना निगम)

11. प्रधान सचिव द्वारा सभी अधीक्षकों को निदेश दिया गया कि सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में उनके अधीन कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों का सूची समयबद्ध तरीके से राज्य स्वास्थ्य समिति एवं विभाग को उपलब्ध करा दें ताकि उसका डाटा बेस तैयार किया जा सके । सभी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षकों द्वारा प्रधान सचिव से अनुरोध किया गया कि अस्पतालीय कार्यो हेतु एक मेटा डोर वाहन out source पर रखने की अनुमति दी जाय । इस वाहन के रखने से रात्रि एवं आकस्मिकी की स्थिति में इसका उपयोग हो सकेगा । प्रधान सचिव द्वारा सभी अधीक्षकों को out source पर एक वाहन रखने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल / राज्य स्वास्थ्य समिति)

12. विचार विमर्श के दौरान ये बात सामने आई कि सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पी0पी0पी0 मोड पर सीटी स्केन एवं एम0आर0आई0 मशीन लगाने हेतु अधीक्षक द्वारा अनुरोध किया गया । सभी अधीक्षकों को ये निदेश दिया गया कि अपने–अपने अस्पताल में स्थान चिन्हित कर प्रतिवेदित करे । ताकि बिहार चिकित्सा स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास निगम के माध्यम से सीटी स्कैन / एम0आर0आई0 मशीन लगाने की कार्रवाई की जा सके ।

(अनुपालन– सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल)

13. सभी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षकों द्वारा प्रधान सचिव से अनुरोध किया गया कि सभी अस्पतालों में दो–दो एम्बुलेन्स उपलब्ध कराई जाय । इस संबंध में कार्यपालक निदेशक द्वारा सभी मेडिकल कॉलेजों में दो–दो एम्बुलेन्स (Basic life support Ambulance) शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया । यह एम्बुलेन्स एन0आर0एच0एम0 के तहत उपलब्ध राशि से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(अनुपालन– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वा0 समिति)

14. समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि पूर्व में बार–बार निर्देश देने के बावजूद भी कई अस्पतालों में अब तक स्वास्थ्य प्रबंधक कि नियुक्ति नहीं की गई है । जिन अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की गई है उनमें एक महीने के अन्दर नियुक्ति करने का निदेश दिया गया । अगर एक महीने के अन्दर नियुक्ति नहीं करते हैं तो उसके संबंध में कारण दर्शाते हुए प्रतिवेदन कार्यपालक निदेशक को भेजेंगे । साथ ही विचार विमर्श के क्रम में यह बात सामने आई कि अस्पतालों में निजी एम्बुलेंस द्वारा मरीज लाने के बाद अस्पताल कैम्पस में ही पार्क कर दिया जाता है । प्रधान

सचिव द्वारा सभी अधीक्षकों को निदेश दिया गया कि अस्पताल कैम्पस में निजी वाहन /एम्बुलेन्स के द्वारा रोगी को उतारने के बाद सभी बाहन/एम्बुलेन्स को अस्पताल कैम्पस से बाहर रखा जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(अनुपालन– सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई ।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ।

ज्ञापांकः– 346(H.S) पटना,दिनांक 21 जुलाई, 2012

प्रतिलिपिः– सभी अधीक्षक/प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/मेट्रोन सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति/ प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें आधारभूत संरचना विकास निगम, बिस्कोमान भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ।

ज्ञापांकः– 346(H.S) पटना,दिनांक 21 जुलाई, 2012

प्रतिलिपिः– सचिव (प0क0) /संयुक्त सचिव (श्री कुमार)/ विशेष कार्य पदाधिकारी/डा0 एम0पी0 शर्मा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी–1, 7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ।

ज्ञापांकः– 346(H.S) पटना,दिनांक 21 जुलाई, 2012

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ।